UPBS060000612023

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०) बस्ती।
सिविल वाद संख्या 46/2023
सालिकराम प्रति राधोसरन आदि,

10.01.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थना पत्र 6 ग 2 पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को एक पक्षीय रूप से सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थना पत्र 6 ग 2 वादी की ओर से प्रस्तुत कर विवादित सम्पत्ति के सम्बन्ध में अस्थायी निषेधाज्ञा की याचना की गयी है। कथन के समर्थन में शपथ पत्र 7 ग व सूची 9 ग से नकल दस्तावेज 10 ग, नकल खतौनी 11 ग दाखिल किया गया है।

पत्रावली का परिशीलन किया। पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद दस्तावेज बैनामा निरस्तीकरण व स्थायी निषेधाज्ञा हेतु संस्थित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना अस्थायी निषेधाज्ञा का एक पक्षीय आदेश पारित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र संख्या 6 ग 2 के आपत्ति/निस्तारण हेतु दिनांक 24.01.2023 नियत कर विपक्षीगण को नोटिस निर्गत हो। वादी पैरवी अन्दर तीन दिवस करे।

सिविल जज (जू०डि०),
बस्ती।